



खेती की बातें



वर्ष-19

अंक-12 मासिक पत्रिका

आर.एन.आई. - 70296/98

5 दिसम्बर 2016

वार्षिक शुल्क- 12 रुपये

अन्नदाता लिखेगा विकास की नई गाथा

उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान के लिए 4400 करोड़ के 38 एमओयू

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) 2016 का ऐतिहासिक आयोजन "उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान" का सपना पूरा करने तथा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी कर कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाईयों देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ग्राम से किसान और निवेशकों को एक प्लेटफार्म मिला है। जिससे कृषि के व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देकर नई कृषि तकनीक अपनाकर कृषि क्षेत्र में नये आयाम बनाये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान सम्पन्न, समृद्ध और समर्थ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान बदलते फसल चक्र, कम पानी में ज्यादा पैदावार करने वाली फसलों और खेती में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों के बारे में सीखें, तभी सही मायने में राजस्थान में बदलाव सम्भव हो सकेगा।

ग्राम में पशुपालन, सहकारिता एवं डेयरी क्षेत्र को शामिल किया गया। इस आयोजन में इजराइल ने पार्टनर देश के रूप में भाग लिया जबकि नीदरलैण्ड, ईरान, कजाखिस्तान, नाइजीरिया एवं जापान आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आयोजन में लगभग कुल अठ्ठावन हजार कृषकों ने भाग लिया।



ग्राम में तीन कॉन्फ्रेंस व चार सेमिनार सत्र व जाजम चौपाल के तीन स्थानों पर चार सत्र आयोजित किये गये जिनकी अध्यक्षता एवं सह-अध्यक्षता राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के सम्बन्धित क्षेत्रों के विख्यात विद्वानों द्वारा की गई। इन सेमिनार एवं जाजम बैठक में कृषकों एवं सहभागियों ने जबरदस्त उत्साह पूर्वक भाग लिया तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। ग्राम में आयोजित कृषि प्रदर्शनी व स्मार्ट फार्म एवं

पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई तकनीक कृषकों, व्यवसायियों, वैज्ञानिकों, छात्रों, शिक्षाविदों, अनुसंधान कर्ताओं एवं हितधारियों के लिए उपयोगी रही।

उन्होंने कहा कि फल-सब्जी की पैदावार बढ़ाने कृषि उत्पादों की जीवन अवधि (शेल्फ लाइफ) बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी उपज कम से कम समय में गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचे। तभी उनका उत्पाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक आसानी से पहुँच सकेगा और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब

हमारा अन्नदाता किसान प्रदेश के विकास की गाथा लिखेगा। हमारे काश्तकार अब खेती के पुरातन तरीकों से आगे बढ़कर उन्नत खेती एवं अधिक उपज पैदा करने वाले 'स्मार्ट एवं उद्यमी किसान' बनेंगे। श्रीमती राजे इस ऐतिहासिक मीट में एमओयू समारोह में उपस्थित उद्यमियों तथा प्रगतिशील किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू की मौजूदगी में इस अवसर पर करीब 4400 करोड़ रुपये के 38 एमओयू किये गये। जिनमें से कृषि विपणन के क्षेत्र में सर्वाधिक 21, कृषि उत्पादन में 7, उद्यानिकी एवं पशुपालन में 5-5 एमओयू किये गये हैं। प्रदेश के कृषि क्षेत्र को बुलंदियों तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण इन एमओयू से करीब 47 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ये एमओयू किसानों को कृषि उपकरण किराये पर देने के लिए कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स एवं आधुनिक कृषि विपणन शेष पृष्ठ 3 पर....

प्रदेश में सुनहरी क्रांति (शहद) के लिए व्यापक प्रयास होंगे

कृषि मंत्री श्री प्रभु लाल सैनी ने कहा है कि राजस्थान कृषि क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर रहा है और प्रदेश में शीघ्र ही सुनहरी क्रांति (शहद) को व्यापक स्तर पर प्रारम्भ किया जायेगा। इस दिशा में भरतपुर क्षेत्र में काफी पहले से ही कार्य किया जा रहा है। उन्होंने



कहा कि इजरायल की तरह राजस्थान को कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, आकार एवं पोषकता वृद्धि की दिशा में कार्य करना होगा। इस और राजस्थान ने कदम बढ़ा दिये है। श्री सैनी जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) में "राजस्थान-इजरायल कोलोबोरेशन फॉर एग्रीकल्चर

डवलपमेंट-वे फॉरवर्ड" विषय पर आधारित सत्र में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इजरायल के सहयोग से राज्य में स्थापित "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के माध्यम से अच्छे किस्म की पौध तैयार हो रही है और हम जैतून, खजूर, संतरा, अनार सहित अन्य क्षेत्रों में काम

कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के दम पर राजस्थान कृषि नवाचार में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। राज्य में जैतून, खजूर, ड्रेगन फल, किनोवा, पिस्ता जैसे गैर पारम्परिक फल और सूखे मेवे की खेती प्रदेश कि कृषि तस्वीर को बदलने में कारगर साबित हो रही है।

स्मार्ट गाँव बनाने की आवश्यकता



राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने स्मार्ट गाँव बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि प्रति एकड़ जमीन की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाया जाये। जो खेती में आगे बढ़ेगा, वही देश तरक्की कर पायेगा। उन्होंने कहा कि खेती के हाथों को वैकल्पिक रोजगार भी उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि किसान की आमदनी बढ़े। राज्यपाल ने कहा कि देश की प्रगति के लिए गाँवों को विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि गाँवों के विकास के लिए किसान को समृद्ध करना जरूरी है। गाँवों को स्मार्ट बनाने के लिए सड़क, सिंचाई, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार व स्वावलम्बन सहित आठ आयामों को गाँव में पूरा करने की श्री सिंह ने आवश्यकता बताई।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट रही किसानों के लिए प्रेरणादायी

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 किसानों के लिए प्रेरणादायी एवं सीखने के नए अवसर लेकर आया। उक्त तीन दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करते हुये लगभग अठ्ठावन हजार प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। किसानों ने ग्लोबल एग्रीटेक मीट में देश एवं विदेश के विशेषज्ञों से कृषि की आधुनिक एवं नवीन तकनीक का ज्ञान



सीखकर इसे अपने यहाँ अपनाने की आकांक्षा लेकर जयपुर एग्रीटेक मीट से अपने गाँव पहुँचे। वापस लौटे किसानों से वार्ता करने पर किसानों के उद्गार प्रसन्नता भरे रहे तथा एग्रीटेक मीट को किसानों ने प्रेरणादायी एवं नवीन तकनीक के आधार पर नई कृषि विधाओं के ज्ञान से भरा बताया। किसानों के लिए एक ही छत के नीचे शेष पृष्ठ 4 पर....

E mail : kheti_ri_batan@yahoo.co.in

इस अंक में...

www.krishi.rajasthan.gov.in



- ▶ दिसम्बर माह के कृषि कार्य
- ▶ परख
- ▶ पशु आहार में अचानक.....
- ▶ खेती की नई जानकारी....

पृष्ठ 2



- ▶ किसान स्वयं के खेत पर बनायें जैविक खाद
- ▶ पौध संरक्षण यंत्रों पर कृषकों को देय सुविधाएं

पृष्ठ 3



- ▶ सम्मानित हुए प्रगतिशील किसान
- ▶ समस्यात्मक खरपतवारों का समन्वित प्रबन्धन

पृष्ठ 4

दिसम्बर माह के कृषि कार्य

फसलोत्पादन

● **सरसों** की फसल में झुलसा, तुलासिता व सफेद रोली रोग के लक्षण दिखाई देते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराड 50 ई.सी. या मैन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. अथवा रिडोमिल एम.जेड. का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार यह छिड़काव 20 दिन के अन्तराल पर दोहराएं। सफेद रोली के नियंत्रण के लिए तीसरा छिड़काव कैराथेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करना उपयुक्त एवं लाभदायक है।

● **गेहूँ** की पछेती किस्मों राज.-3077, राज.-3777, राज.-3765, राज.-4238 बलुई मिट्टी के लिए जी.डब्ल्यू.-190,



जी.डब्ल्यू.-273 एवं पी.बी.डब्ल्यू.-373 की बुवाई दिसम्बर माह के प्रथम पखवाड़े तक अवश्य कर दें। बीज दर 125 किलो प्रति हैक्टर रखें। गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमने पर तथा दूसरी सिंचाई फुटान के समय अवश्य करें तथा 80-100 किलो यूरिया प्रति हैक्टर बुवाई के एक माह बाद द्वितीय सिंचाई के समय मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट अनुसार दें।

● **जौ** की दर से बुवाई हेतु सिंचित क्षेत्रों में आर.डी.-2508 की बुवाई मध्य दिसम्बर तक करें। बीज दर 125 किलो प्रति हैक्टर रखें। जल भराव वाले क्षेत्रों में दिसम्बर के अंत तक बुवाई के लिए उपयुक्त किस्में आर.डी.-2624, आर.डी.-2660 व आर.डी. 2508 हैं।

● **गेहूँ** की फसल में समस्त खरपतवार (एक बीज पत्री एवं द्विबीज पत्री) के नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरॉन 75 प्रतिशत + मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 5 प्रतिशत (20 डब्ल्यू.पी.) का 32 ग्राम सक्रिय तत्व भारी मिट्टी एवं 24 ग्राम सक्रिय तत्व हल्की मिट्टी में गेहूँ की बिजाई के 30-35 दिन बाद 400-500 लीटर पानी

में मिलाकर प्रति हैक्टर में फ्लेट-फेन नौजल से छिड़काव करें।

● **गेहूँ व जौ** में मकड़ी, मोयला, तेला का प्रकोप मध्य दिसम्बर से शुरु होता है। इनके नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. या डायमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर प्रति हैक्टर की दर से 400-500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

बागवानी

● **अंगूर** की बेलों में कटाई-छंटाई करें। किस्म के अनुसार तृतीय शाखाओं पर जो कि एक वर्ष पुरानी होती हैं, उनके करीब 60 प्रतिशत केन पर कलिकाओं की संख्या परलेट में 4-5 थॉमसन सीडलेस एवं ब्यूटी सीडलेस में 5-8 रखनी चाहिये तथा शेष 40 प्रतिशत केन पर दो कलिकाएं रखें। सूखी, कमजोर व रोगग्रस्त शाखाओं को काट देना चाहिये।

● **आम** के बगीचों की देखभाल करें तथा निराई-गुड़ाई व सिंचाई कर थांवलों की सफाई रखें। आम के पौधों में उम्र के हिसाब से क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक आयु के पौधों में 15, 30, 45, 60, 75 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद दें तथा 250, 500, 750 1000 एवं 1250 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा चतुर्थ वर्ष में 250 ग्राम तथा पाँच वर्ष से अधिक उम्र के पौधों में 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा दें।

● **पपीते** के बगीचे की देखभाल करें। सिंचाई व निराई-गुड़ाई करें। पपीते में 35 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर



फॉस्फेट तथा 75 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा दें।

● **आंवला, अमरुद व नींबू वर्गीय फलों** को विक्रय हेतु बाजार में भेजें तथा बगीचे की निराई-गुड़ाई कर सफाई रखें।

● **बेर** में इस समय छोटे-छोटे फल लग रहे हैं। यदि गत माह में उर्वरक नहीं दिया गया हो तो क्रमशः 220, 440, 1100, 1200 एवं 1200 ग्राम यूरिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं पाँच वर्ष से अधिक उम्र के पौधों के हिसाब से प्रति पौधा दें।

सब्जियाँ

● **रबी सब्जियों** की फसल हेतु तैयार पौध की रोपाई करें तथा खेत की तैयारी के समय 400-500 क्विंटल गोबर की खाद भूमि में मिला दें। बुवाई पूर्व 100 किलो डी.ए.पी. व 60 किलो यूरिया ऊरकर दें तथा रोपाई के 30-35 दिन बाद 50 किलो यूरिया प्रति हैक्टर देकर सिंचाई करें। मिट्टी जाँच रिपोर्ट के आधार पर पोटाश व सूक्ष्म पोषक तत्व भी दें।

● **बैंगन** की रोपाई की गयी फसल की देखभाल करें। पौध रोपण के 20 दिन बाद तथा फूल लगने के समय 44-44 किलो यूरिया दो बार देकर सिंचाई करें।

● **आलू** की बोई गयी फसल की देखभाल करें तथा नत्रजन की शेष आधी मात्रा 50-60 किलो यूरिया प्रति हैक्टर

मिट्टी चढ़ाने के साथ दें तथा सिंचाई करें।

● **गाजर** की बोई गई फसल की देखभाल करें तथा बुवाई के 45 दिन बाद 66 किलो यूरिया प्रति हैक्टर खड़ी फसल में दें।

● **फूल गोभी** में भूरी गलन या लाल सड़न रोग बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। गोभी के फूलों पर गोल आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में फूल को सड़ा देते हैं। इसके नियंत्रण हेतु फसल पर (0.3 प्रतिशत) 3 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

● **मिर्च, टमाटर व बैंगन** में फलीछेदक कीट के नियंत्रण हेतु 50 प्रतिशत फूल आने पर न्यूक्लियर पोली हाइड्रोसिस वाइरस (एन.पी.वी.) 250 एल.ई.का 125 मिली लीटर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव बेसीलस थूरेन्जेन्सिस का 1.5 लीटर प्रति हैक्टर की दर से, पहले छिड़काव के 15 दिन बाद करें। तीसरा छिड़काव मैलाथियॉन 50 ई.सी. दवा एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का दूसरे छिड़काव के 15 दिन बाद करें। छिड़काव के घोल में टीपोल या सेण्डोविट 0.1 प्रतिशत (1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में) जरूर मिलायें। छिड़काव यथा संभव सुबह या शाम के समय करें।

● **सब्जियों** की अगेती फसल के लिए पॉलीथिन लॉ-टनल तकनीक से बुवाई करें। साथ ही उठी हुई क्यारियाँ में बून्द-बून्द सिंचाई संयंत्र के साथ प्लास्टिक मल्टि का उपयोग करने से अगेती फसलों की अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है तथा सर्दी से बचाया जा सकता है।

● **मिर्च** में सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु कीट दिखाई देने पर ट्राईजोफॉस 40 ई.सी. 2.0 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

पुष्पोत्पादन

● **गेंदा** में ग्रीष्मकालीन फसल हेतु नर्सरी तैयार करें। एक हैक्टर क्षेत्रफल की पौध



हेतु 1 से 1.25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीज बाने से पूर्व थाइरम या कैप्टान या कार्बेन्डेजिम 2.0-2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। शीतकालीन फसल में यह फूल खिलने का समय रहता है। अतः 2-3 दिनों के अन्तराल पर पूरे खिले हुए फूलों को तोड़कर विक्रय हेतु बाजार भेजें।

मसाले

● **धनिया** में प्रथम सिंचाई, निराई-गुड़ाई के 30-35 दिन बाद व दूसरी सिंचाई 55-60 दिन पर करें तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करते

परख

नवम्बर, 2016 के अंक में प्रकाशित आलेख में से दो प्रश्न पूछे गये थे। सही उत्तर भेजने वाले लॉटरी द्वारा चुने गये विजेता कृषक का नाम है-

1. श्री मोहन लाल जाट, पुत्र श्री नन्दराम जाट, 206, चाचाणी बास, ग्रा. पो. नोरंगदेसर, तह. बीकानेर जिला- बीकानेर (334001)
2. श्री शाहरुख मोहम्मद, पुत्र श्री रिजवान मोहम्मद अंसारी वार्ड नं. 4, नगरपालिका बेगू जिला- चित्तौड़गढ़

इस माह के प्रश्न हैं -

प्र.1 गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिये?
प्र.2 सरसों की जगह कौन-कौनसी फसलों को उगाकर ओरोबन्की खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है?
तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब। हमारा पता है:-
उप निदेशक, कृषि (सूचना), कमरा नम्बर 118, कृषि निदेशालय, पंत कृषि मवन, जयपुर-302005

रहें। प्रथम सिंचाई पर 44 किलो यूरिया तथा शेष 44 किलो यूरिया फूल आते समय दें।


● **जीरे** में दूसरी सिंचाई, बुवाई के एक सप्ताह बाद जब बीज फूलने लगे तब करें ताकि अंकुरण पूर्ण हो सके।

● **सौंफ** में फूल आते समय 66 किलो यूरिया प्रति हैक्टर की दर से फसल में छिटक कर सिंचाई करें।

● **मेथी** में प्रथम निराई-गुड़ाई 30 दिन बाद तथा दूसरी 55-60 दिन की फसल होने पर करें।



पशु आहार में अचानक बदलाव न करें



पशु के आहार में कभी-भी अचानक से बदलाव न करें। एक अवयव को धीरे-धीरे घटायें तथा दूसरे की मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ायें। इस प्रकार लगभग एक सप्ताह में पशु को पूरी तरह आहार पर लायें। पशु आहार में अचानक बदलाव से होता है-

- पाचन क्षमता में कमी
- पेट की कार्य क्षमता में कमी
- आहार ग्रहण करने की क्षमता में कमी
- दुग्ध उत्पादन में कमी
- आफरा
- अपच
- भूख कम लगना
- जुगाली बन्द हो जाना

खेती की नई जानकारी के लिए.....

बात करें

किसान कॉल सेन्टर
नि:शुल्क टेलीफोन
1800 180 1551 या 1551 पर
(प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक)

देखें

जयपुर दूरदर्शन पर
खेती बाढ़ी > गुरुवार सायं 7.30 बजे
कृषि दर्शन > सोमवार से शुक्रवार सायं 5.30 बजे

सुनें

"खेती की बाता" आकाशवाणी कार्यक्रम
आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से
प्रतिदिन सायं 7.45 से 8.15 तक

पढ़ें

"खेती की बाता" मासिक अखबार
डाक से भंगवाने के लिए मात्र 12
रुपये वार्षिक शुल्क निकटतम कृषि
कार्यालय में जमा करावें

मिलें

नजदीकी कृषि कार्यालय या
जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र में

लॉग ऑन करें

www.krishi.rajasthan.gov.in
(विभागीय वेबसाइट)
www.farmer.gov.in
(संदेश व अन्य जानकारी)

किसान स्वयं के खेत पर बनाये जैविक खाद

किसान सदियों से खेती करते आ रहे हैं तथा अपनी जमीन एवं पर्यावरण की सुरक्षा भी साथ-साथ करते थे। पूर्व में किसानों द्वारा जो कृषि पद्धति अपनाई जा रही थी, उससे प्राकृतिक व्यवस्थाओं को आघात नहीं पहुँचता था। विज्ञान का युग आया, हर क्षेत्र में विकास हुआ। अनुसंधानों के परिणाम किसानों तक पहुँचाये गये। बढ़ती आबादी के फलस्वरूप कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी तथा उनकी पूर्ति हेतु कृषि पद्धति में बदलाव आया। खेती की सघनता बढ़ाई गई, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, मशीनीकरण हुआ। इन कृषि क्रियाओं से हम कृषि उत्पादन बढ़ाने में तो सफल हुए परन्तु प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। इससे मिट्टी प्रदूषण बढ़ा तथा भूमि में रहने वाले हमारे मित्र कीट जैसे केंचुआ आदि का विनाश हुआ। इसके फलस्वरूप जो हमारी जमीन प्राकृतिक रूप से समृद्ध रहती थी, वह बीमार होने लगी है या उसकी उर्वरकता में गिरावट आने लगी है। मृदा जैविकी की सक्रियता बढ़ाने के लिये नियमित जैविक खादों का उपयोग जरूरी है जैविक खादों में वर्मी कम्पोस्ट एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी उत्पाद है, जिसके उपयोग से हम अपनी जमीन को उपजाऊ एवं उपयोगी बना सकते हैं। वर्मी कम्पोस्टिंग के अंतर्गत कूड़ा-कचरा या गोबर एवं खेत पर उपलब्ध अन्य फसल अवशेष को केंचुओं की सहायता से उपजाऊ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) में परिवर्तित किया जाता है इस विधि को वर्मी कम्पोस्टिंग कहते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट के लाभ

- * फसल को पोषक तत्व शीघ्र उपलब्ध होना शुरु हो जाते हैं।
- * यह फसल की सूखा सहने की क्षमता,

रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है तथा उत्पादन का स्वाद, गंध व रंग में भी बढ़ोतरी करता है।

* यह भूमि में सूक्ष्म जीवाणु क्रियाशीलता में वृद्धि कर पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है।

* ग्रामीण स्तर पर कच्चे माल (गोबर, जैविक पदार्थ आदि) की प्रचुरता के कारण यह



सस्ता, सुलभ, उपयोगी, अधिक उपज प्राप्ति कारक है।

* केंचुए अपने आहार व अवशिष्ट प्रक्रिया से बने वर्मी कम्पोस्ट से भूमि को भुरभुरा पन, मृदा में वायु संचार, जल रिसाव व जल धारण में वृद्धि करता है।

* भूमि जल संधारण क्षमता बढ़ाने से सिंचाई की मात्रा व संख्या में कमी से 15 से 25 प्रतिशत तक जल बचाया जा सकता है।

* केंचुए व केंचुआ खाद बेचकर कृषक अतिरिक्त आय का साधन बना सकता है।

वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि
वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिये सबसे पहले 6-8 फुट ऊँचाई का एक छप्पर तैयार कर लें, ताकि केंचुओं की अधिक सक्रियता के लिए उपयुक्त तापमान एवं छाया रखी जा सके। छप्पर बनाते समय

यह बात मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि केंचुए अंधेरा और नमी पसन्द करते हैं। खाद बनाने के लिये बिस्तर (बैड) तैयार किया जाता है। इसमें 6" (इंच) गहरा 3.5 फीट चौड़ा व लम्बाई सुविधानुसार के आकार का गद्दा खोद लेना चाहिये। इसमें 3" तक कंकरीट या बालू की भराई कर दे इसके बाद 3" में रायडे या अन्य फसलों की शाखायें बिछाकर अंत में नीम की सूखी पत्तियों से भरकर भूमि की सतह तक भर देना चाहिये। अब इस स्थान पर गोबर व फसल अवशेष की 1.5 से 2 फुट ऊँची अर्द्धगोलाकार ढेरी लगा दी जाती है। बोरी या बारदाने से ढक कर झारे से इसे नम कर देते हैं। 7-10 दिन तक इस प्रक्रिया को करते हैं तथा इसके बाद गोबर में अंदर तक हाथ डालकर देखते हैं यदि गर्म महसूस नहीं होता है तो एक वर्ग फुट में 100 केंचुए के हिसाब से गोबर की ढेर में केंचुए छोड़ दें। या 3 x 10 फुट के बेड में 2 किलो केंचुए डाले जाते हैं। ये केंचुए कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि विभाग या किसानों से प्राप्त किये जा सकते हैं। केंचुए छोड़ने के बाद ढेर को पुनः बोरी से ढक दिया जाता है। पर्याप्त नमी व छाया का ध्यान रखना बहुत जरूरी है नमी की अधिकता या सीधी धूप से केंचुए मर भी सकते हैं। गोबर के ढेरी का 2-3 दिन बाद लकड़ी के पंजे से कुरेद देते हैं ताकि वायु संचार बना रहे। क्यारी में नमी हेतु गर्मी 2-3 बार व सर्दी में एक बार पानी छिड़का जाता है। लगभग 20-25 दिन बाद चाय के दाने जैसी खाद ढेरी के ऊपरी सतह पर दिखने लगती है तथा 40-60 दिन में सम्पूर्ण ढेरी की खाद बन जाती है। इस समय ढेरी को पानी लगाना बन्द कर देना चाहिये। जिससे सारे केंचुए निचली सतह में चले जाते हैं और हाथ से

ऊपर की खाद को इकट्ठा कर छान कर प्रयोग करने तक छायादार ठंडे स्थान पर भंडारित कर लिया जाता है। उपयोग करने तक खाद में नमी बनाये रखनी चाहिये। नीचे इकट्ठे हुए केंचुओं को पुनः खाद बनाने के लिये प्रयोग कर लिया जाता है।

प्रयोग विधि:— केंचुआ खाद की 8-10 टन मात्रा सब्जियों वाली फसलों में प्रति हैक्टर प्रयोग करना चाहिये। केंचुआ खाद को खेत में डालने के तुरन्त बाद मिट्टी में मिला देना चाहिये व सिंचाई करनी चाहिये। बेहतर परिणाम के लिये फसल में प्रत्येक निराई-गुड़ाई से पहले केंचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिये। ताकि निराई-गुड़ाई के साथ भूमि में मिलकर तुरन्त फसल के लिये उपयोगी हो सके। इसके बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिये।

वर्मी कम्पोस्ट में उपलब्ध पोषक तत्व

तत्व (प्रतिशत)	वर्मी कम्पोस्ट	गोबर की खाद
नत्रजन	2.5-3.00	0.50
फॉस्फोरस	1.5-2.00	0.25
पोटाश	1.5-2.00	0.5

सावधानियाँ

- * वर्मी कम्पोस्ट की क्यारियों की धूप से रक्षा करें अन्यथा सीधी धूप एवं गर्मी से केंचुए मर जायेंगे।
- * नमी का स्तर 30-40 प्रतिशत बनाये रखें, जिससे केंचुआ जीवित रहकर अपनी वृद्धि करते रहे। गर्मियों में 3-4 बार ढेर पर पानी छिड़कना चाहिये।
- * वर्मी कम्पोस्ट बनाते समय बार-बार उसे पलटना या छेड़ना नहीं चाहिये, इससे केंचुए नष्ट होते हैं तथा उनकी क्रियाओं में बाधा पहुँचती है।

पृष्ठ 1 का शेष....(अन्नदाता लिखेगा...)

सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत बागवानी, भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज, मुर्गी पालन, मछली पालन, सोलर, ग्रीन हाउस, कृषि पर्यटन, कृषि में आईटी, औषधीय और हर्बल फसलों, बीजीय मसालों, नर्सरी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का किसान किसी भी मायने में देश के अन्य राज्यों के प्रगतिशील किसानों से पीछे नहीं है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के काश्तकार मार्केटिंग के नवीनतम तौर-तरीकों को अपनाकर फसल उत्पादन करें तथा खुशहाल बनें। उन्होंने कहा कि समय का तकाजा है कि खेती और उद्योग एक-दूसरे के पूरक बनें। श्रीमती राजे ने कहा कि इन एमओयू का लाभ किसी क्षेत्र विशेष के किसानों को नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के किसानों को मिलेगा। इन समझौतों को धरातल पर उतराने के बाद प्रदेश में कृषि क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ये एमओयू इसलिए और भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हें किसानों की तकदीर संवारने के लिए धरातल पर उतारा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में आये किसान यहाँ कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों एवं उद्यमियों से दुनियाभर में प्रचलित खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी लेकर अपने गाँव लौटेंगे तो वे नये आत्मविश्वास और संकल्प के साथ अपने खेतों में खुशहाली की फसल उगायेंगे और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे।

पौध संरक्षण यंत्रो पर कृषकों को देय सुविधाएं

आई.पी.एम. आधारित एफ.एफ.एस. आधारित (NMOOP)	30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु 26700/- रुपये सहायता देय है।
पौध संरक्षण उपकरण हस्तचलित (नेपसेक, फुट स्प्रेयर आदि) (NMOOP) राज्य योजना /NFSM (दलहन व गेहूँ)	सामान्य कृषकों को कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 600/-रु. प्रति उपकरण तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला, सीमान्त, लघु कृषकों एवं अन्त्योदय परिवारों के लिए कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 800/-रु. प्रति उपकरण सहायता देय है। कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 600/- रु. प्रति उपकरण सभी श्रेणी के कृषकों के लिए सहायता देय है।
पावर चलित (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता वाले) (NMOOP)	सामान्य कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000/-रु. प्रति उपकरण अनुसूचित/जनजाति, महिला, लघु/ सीमान्त कृषकों एवं अन्त्योदय परिवारों के लिए कीमत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 3800/- रु. प्रति उपकरण सहायता देय है।
पावर चलित (16 लीटर से अधिक क्षमता) (NMOOP)	कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8000/- रु. प्रति उपकरण सामान्य कृषकों के लिए तथा अनुसूचित/जनजाति, महिला, लघु/ सीमान्त कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या 10000/- रु. प्रति उपकरण सहायता देय है।
सीड ड्रेसिंग ड्रम (NMOOP) (20 किलोग्राम क्षमता)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1750/-रु. प्रति उपकरण (सभी श्रेणी के कृषकों के लिए)।
(40 किलोग्राम क्षमता)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000/-रु. प्रति उपकरण (सभी श्रेणी के कृषकों के लिए)।
फसलों में खरपतवार नाशी सहित पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान	NMOOP /राज्य योजना /NFSM (गेहूँ व दलहन) योजनान्तर्गत कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रु. प्रति हैक्टर जो भी कम हों सहायता देय है।
ट्रेक्टर माउण्टेड (NFSM/राज्य योजना)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000/- रु. प्रति उपकरण सभी श्रेणी के कृषकों के लिए सहायता देय है।
गेहूँ एवं दलहनी फसलों में पौध संरक्षण रसायन/ बायो एजेन्ट व बायो पेस्टीसाईड (आई. पी. एम.) पर अनुदान	NFSM योजनान्तर्गत पौध संरक्षण रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रु. प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है।
पावर चलित (पावर स्प्रेयर कम ड्रस्टर/ बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर	राज्य योजना/NFSM (गेहूँ व दलहन) योजनान्तर्गत कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000/- रु. प्रति उपकरण सभी श्रेणी के कृषकों के लिए देय है।

ऐसे मंगवायें "खेती की बातें"

घर बैठे वर्षभर खेती की बातें अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कमरा नं.-250, कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर (302005) के नाम 12/- रुपये का मनीआर्डर भेजें। स्वयं का साफ-साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड नंबर व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।

डाक पं.सं. JaipurCity/409/2015-17

आर.एन.आई - 70296/98



प्रेषक-

उप निदेशक, कृषि (सूचना)

118, पंत कृषि भवन,

जयपुर-302005

प्रेषिति-

सम्मानित हुए प्रगतिशील किसान

जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के तहत आयोजित किसान सम्मान समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह एवं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने किसानों को सम्मानित किया। जैविक खेती के लिए सम्मान पाने वाले किसानों में सीकर जिले के श्री रामकरण सिंह, दौसा जिले की श्रीमती रुबी पारीक एवं झालावाड़ जिले के श्री हुकुमचन्द पाटीदार को एक-एक लाख रुपये के पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। आत्मा योजना के तहत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मान पाने वाले किसानों में झालावाड़ जिले की श्रीमती संतोष कुमारी



एवं टोंक जिले के श्री भूरे खां को पचास-पचास हजार रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पशुपालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाली अजमेर जिले की महिला पशुपालक श्रीमती रामू एवं कोटा जिले की पशुपालक श्रीमती सुमन दीप कौर को पचास-पचास हजार

रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये जोधपुर जिले के श्री पुरखाराम चोयल, जयपुर जिले के श्री भैरुराम एवं जिला श्री गंगानगर की श्रीमती सुशीला को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही राज्य की विभिन्न जिलों की पंचायत समिति स्तर तक प्रगतिशील महिला पशुपालकों को 10-10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। श्रीमती राजे ने प्रदेश के 13 प्रगतिशील किसानों को कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में नवाचार कर अधिक उत्पादन एवं अन्य उपलब्धियाँ अर्पित करने पर उन्हें शाल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।

पृष्ठ 1 का शेष....(ग्लोबल एग्रीटेक...)
कृषि की विश्वस्तरीय कृषि तकनीकों की प्रदर्शनी का अनुभव अनूठा एवं बेमिसाल रहा। इस परिक्षेत्र का हर कोना चाहे वह स्मार्ट फार्म हो, किसानों के लिए जाजम चौपाल हो या फिर सेमिनार नई सीख दे रहा था। पशु फार्म में रखे गये उन्नत नस्ल के पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य का प्रदर्शन किसानों के लिए हितकारी था। वही खजूर, जैतून, किनोवा और पुष्प की खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण की तकनीक का प्रदर्शन ग्राम में आने वाले प्रत्येक किसान को सोचने के साथ तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। किसानों ने कहा की ग्राम हमारे लिए ऐसा मंच साबित हुआ, जहाँ हमारी समस्याओं की जानकारी लेकर उनका मौके पर निराकरण भी किया गया।



समस्यात्मक खरपतवारों का समन्वित प्रबन्धन



मौथा

यह घास जैसा दिखने वाला बहुवर्षीय खरपतवार है, इसका फैलाव गाँवों व बीजों द्वारा होता है। वस्तुतः गाँवों द्वारा ही इसका फैलाव अधिक होता है। पौधे के फूटान के 3 से 8 सप्ताह पश्चात इसमें फूल आते हैं। यह विश्व का सबसे अधिक समस्यात्मक खरपतवार माना जाता है। सब्जियों तथा सिंचित क्षेत्रों में इसकी समस्या अधिक होती है।



रोकथाम

★ गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें जिससे मौथा की जड़ें व गाँठें भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं जो सूर्य की किरणों से सूखकर 7-14 दिन में नष्ट हो जाती हैं। मिट्टी के बड़े ढेलों को कल्टीवेटर चलाकर तोड़ देना चाहिये, जिससे मौथा की गाँठें अच्छी तरह सूखकर नष्ट हो जायें।

★ गहरी जुताई के पश्चात 2, 4-डी अमाइन का 0.5 किलोग्राम प्रति हैक्टर का छिड़काव उपयोगी रहता है।

★ प्रति हैक्टर ग्लायफॉसेट 1.5 किलोग्राम या पैराक्वेट 1.0 लीटर (0.1 प्रतिशत) अथवा एलाक्लोर 1.0 किलोग्राम + एट्राजिन 0.5 किलोग्राम का भी छिड़काव उपयुक्त रहता है।

कांस

यह एक लम्बी, सीधी उगने वाली घास है। यह बीज व प्रकंद के माध्यम से फैलती है। सितम्बर-अक्टूबर माह में इसमें फूल आते हैं। बीजों में 90 प्रतिशत तक अंकुरण क्षमता होती है। कांस खाली भूमि, नहर व तालाबों के किनारे, दलदली क्षेत्र में अधिक पनपता है।

रोकथाम

★ ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें जिससे जड़ें व प्रकंद भूमि की सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की

तेज किरणों से सूखकर नष्ट हो जाते हैं।

★ जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो वहाँ कांस ग्रसित क्षेत्र को जलमग्न करके भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

★ खेत में जब खरपतवार फूल आने की अवस्था में हो, ग्लायफॉसेट का 1.5 से 2.0 किलोग्राम प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। ध्यान रहे कि छिड़काव के समय खेत में कोई फसल न हो।

गाजर घास

यह खरपतवार अकृषि क्षेत्रों, रेल पटरियों के किनारे, नदी नालों के किनारे, बेकार व पड़त भूमि इत्यादि स्थानों पर उगता है। आजकल इसका फैलाव कृषि भूमि या खेतों में भी देखा जा रहा है। इसमें वर्ष भर फूल आते हैं व प्रति पौधा लगभग 7000 बीज उत्पादित करता है जो भूमि पर गिरकर वर्षाकाल में उगकर अत्यधिक पौध तैयार करते हैं। यह नम व छायादार ठण्डे स्थान पर अत्यधिक पनपते हैं। इसके स्पर्श के कारण मानव में अस्थमा, त्वचा रोग, जलन इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसके कारण परागनासार्ति रोग भी उत्पन्न होता है।



रोकथाम

★ फूल आने से पूर्व इस खरपतवार को हाथों से (दस्ताने या प्लास्टिक की थैली पहनकर) निरन्तर जड़ सहित उखाड़ते रहना चाहिये।

★ फूल आने से पूर्व साधारण नमक के 20 प्रतिशत घोल का छिड़काव उपयोगी रहता है।

★ अकृषि क्षेत्र में फूल आने से पूर्व 2-5 किलोग्राम 2,4-डी एस्टर का प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।

★ पैराक्वेट 1.0 लीटर (0.1 प्रतिशत) व ग्लायफॉसेट 1.5 किलोग्राम प्रति हैक्टर के छिड़काव से भी नियंत्रण कर सकते हैं।

★ कृषि क्षेत्रों में बुवाई से पूर्व फसल के

अनुसार सिमाजिन, एट्राजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर के उपयोग से संबंधित फसल में इसका नियंत्रण किया जा सकता है।

★ जिन क्षेत्रों में केसिया यूनिफ्लोरा अथवा केसिया सेरेसिया के पौधे होते हैं, वहाँ गाजर घास कम देखी गई है। अतः समस्याग्रस्त क्षेत्रों में केसिया जाति के बीजों को डालने से उक्त खरपतवार कम पनपते हैं।

अमरबेल

यह एक तना परजीवी खरपतवार है। मुख्य रूप से रिजके में इसकी गंभीर समस्या देखी गई है परन्तु अलसी, चुकन्दर, मिर्ची, प्याज, गाजर, सूरजमुखी, नाइजर, मेंहदी व कई वृक्षों पर इसकी विभिन्न जातियों का प्रकोप देखा गया है। अमरबेल का फैलाव बीज तथा कायिकी प्रवर्धन द्वारा होता है। अमरबेल के एक पौधे पर लगभग 1000 बीज होते हैं जो पाँच वर्ष तक अंकुरणक्षम बने रहते हैं।

रोकथाम

★ फसलों के बीज अमरबेल बीज रहित हों, उपयोग में लिये जायें।

★ नमक के 2 प्रतिशत घोल में बीजोपचार से अमरबेल के बीज अलग हो जाते हैं। रिजके के बीजों को साफ पानी में धोकर काम में लें।

★ अमरबेल युक्त चारा पशुओं को न खिलायें क्योंकि अमरबेल पचती नहीं है और पशुओं के गोबर के साथ बाहर निकल जाती है। यदि यह गोबर रिजके के खेत में पहुँच जाये तो अमरबेल का फैलाव हो जाता है।

★ समस्या गंभीर होने पर रिजके के स्थान पर अन्य फसलें जैसे गेहूँ, चना, सरसों व जई बोयें।

★ रिजके के खेत का लगातार निरीक्षण करना आवश्यक है। अमरबेल शुरु में 2-3 स्थानों पर व कालान्तर में पूरे खेत में फैल जाती है। अतः शुरु में ही अमरबेल को रिजके सहित काटकर जलाकर नष्ट कर दें व कटे हुए स्थानों पर पैराक्वेट 1.0 लीटर प्रति हैक्टर (0.1 प्रतिशत) का छिड़काव करें। जिससे अमरबेल व सम्पर्क

में आने वाला रिजका नष्ट हो जायेगा परन्तु सिंचाई के साथ रिजका पुनः फूट जायेगा।

ओरोबन्की (हड्डा, बाद)

यह एक जड़ परजीवी खरपतवार है जो परपोषी फसल (सरसों, सूरजमुखी, टमाटर, बैंगन, तम्बाकू) की जड़ों से पोषक



तत्व ग्रहण कर धीरे-धीरे उन्हें नष्ट कर देता है।

रोकथाम

★ फसल चक्र में परिवर्तन करें। भिण्डी, बैंगन, टमाटर, सरसों, तम्बाकू आदि फसलें न उगायें।

★ पाश फसलों जैसे अलसी, ज्वार, तिल, चावल, सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का की खेती से ओरोबन्की खरपतवार में कमी होती देखी गई है।

★ चौड़ी कतारों वाली फसलों में ग्लायफॉसेट 2 लीटर प्रति हैक्टर (0.2 प्रतिशत) के निर्देशित छिड़काव से इस खरपतवार का नियंत्रण हो सकता है।

★ गैर फसल क्षेत्र में बीज बनने से पूर्व ओरोबन्की के पौधों को लगातार यांत्रिक विधि से नष्ट करें।

जैविक खेती जैविक खाद राम कृषक और देश आवाद

स्वत्वाधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक निदेशक कृषि, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कृषि सूचना मुद्रणालय, जयपुर से मुद्रित और पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर से प्रकाशित।

प्रकाशक व मुद्रक - अम्बरीष कुमार
सम्पादक - खेमराज शर्मा
सह सम्पादक - सुनीता घोसलिया
परामर्श - जे.पी. यादव
- राजेन्द्र सिंह मनोहर
डिजाइनर - रैजल मैसी